22/12/23 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित।
अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर
तहसीलदार बामनवास द्वारा पारित निर्णय
दिनांक 12/11/2020 को यथावत रखा
जाता है। विरुद्ध निर्णय प्रकरण की मिसल
जाकर शामिल पत्रावली किया जाये।
पत्रावली कैलाश कुमार रीडर नम्बर 1 के
पेश होवे। बाद तकमील दाखिल
दफ्तर होवे।

जिला कलक्टर
...पुर सिटी (राज०)

न्यायालय जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— डॉ. अंजली राजोरिया आई.ए.एस.

अपील संख्या:— 47/2023

(75 एल.आर.एक्ट.)

उनवान

1. रामविलास पुत्र गोपी जाति मीना निवासी रमजानीपुरा तहसील बामनवास।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिए तहसीलदार तहसील बामनवास।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित:—

1. श्री शिवचरण शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से।
2. राजकीय पेरोकार रेस्पोडेन्ट की ओर से

::: निर्णय :::

दिनांक:—22-12-2023

यह अपील न्यायालय तहसीलदार बरनाला के मुकदमा नं0 91/2020 बउनवानी सरकार बनाम रामविलास निर्णय दिनांक 23.08.2023 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बामनदास के आदेश दिनांक 12.11.2020 जिसके तहत अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए ग्राम रमजानीपुरा के सरकारी भूमि गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 329 रकबा 0.03 हैक्टर पर अपीलार्थी रामविलास पुत्र गोपी जाति मीना निवासी रमजानीपुरा तहसील बामनवास द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने पर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध विधि विरुद्ध तरीके से तामील मानकर एक तरफा आदेश पारित किया है। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.11.2020 की जानकारी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी वारंट की तामील करने के लिये गांव में आकर अपीलार्थी की तलाश करने से दिनांक 13.01.2021 को हुई है। जिस पर अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार बामनवास के यहा से दिनांक 10.02.2021 को निर्णय की नकल प्राप्त कर अपील मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश की गई

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि विवादित आराजी ग्राम रमजानीपुरा के खसरा नम्बर 329 रकबा 0.03 है0 पर रामविलास पुत्र गोपी द्वारा अवैध रूप से कब्जा होना जाहिर किया है जबकि आराजी मौके पर अपीलार्थी का कब्जा नही है। पटवारी हल्का ने बिना मौका निरीक्षण किये एवं बिना पैमाईश किये, अदालत मातहत में अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त रास्ते की भूमि के पास अपीलार्थी के पिता की भूमि है जिस पर शुरूआत से मेड हो रही है रास्ता छोडकर अन्य व्यक्ति की भूमि है जिसने रास्ता बन्द कर रखा है उक्त लोग प्रभावशाली एवं राजनैतिक रूप से सक्षम है जिनके अनुचित प्रभाव में आकर अपीलार्थी को सजायाब किया गया है। अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है और ना ही पूर्व में अतिक्रमण करने व बेदखल करने के बारे में कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। अधीनस्थ अदालत ने केवल हल्का पटवारी के बयानों को आधार मान कर ही अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय पारित किया है

जिला कलक्टर

जबकि विवादित खसरा नम्बर के आस-पास के खातेदारों के बयान भी पत्रावली में दर्ज करने चाहिये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि पूर्व में अपीलार्थी को मौके से बेदखल किया है या नहीं, उक्त प्रकरण में बिना प्रोपर तामील हुए ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है। मौके पर अपीलार्थी का ना तो कोई कब्जा कभी रहा है और ना ही वर्तमान में है। दिनांक 13.01.2021 को पुलिसकर्मी जब अपीलार्थी के घर गया तो निर्णय की जानकारी हुई तथा निर्णय की नकल 10.02.2021 को प्राप्त होने से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर दिये बिना अधीनस्थ द्वारा निर्णय पारित किया गया है जो खारिज होने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी है उन्हें अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी ने गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 329 रकवा 0.03 है0 भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसका उसे कोई अधिकार नही है। भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है जो सरकारी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में रास्ता खोलने के पश्चात भी रास्ते को लगातार अवरूद्ध कर देता है। अपीलार्थी बार-बार सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का आदी है तथा दिनांक 05.11.2020 को अपीलार्थी की ओर से उसकी पत्नी ने अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र पेश किया है कि अपीलार्थी का मौके पर कब्जा नही है, जिसकी जांच भू-अभिलेख निरीक्षक से करवाई गई जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.11.2020 मे विवादित भूमि खसरा नम्बर 329 रकवा 0.03 है0 गैर मुमकिन रास्ते पर पराल कास्त कर व ईंधन डाल कर रास्ता अवरूद्ध करने की रिपोर्ट पेश की है। इसलिए अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत सही है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त की जावें।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित है तथा अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील व बहस में ऐसे कोई कथन नही किये है जिससे यह कहा जा सके कि अपीलार्थी का मौके पर आम रास्ते की भूमि पर कब्जा ना हो बल्कि अपीलार्थी नें अपील के मद नम्बर 04 मे कथन किया है कि अपीलार्थी को भौतिक रूप से कब्जे से बेदखल करने बावत कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नही किये गये है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर काबिज है तथा उसके द्वारा मौके से कब्जा भी नही हटाया गया है। भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 11.11.2020 में भी मौके पर रास्ता अवरूद्ध पाया गया है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वामनवास द्वारा पारित किया गया निर्णय दिनांक 12.11.2020 विधि सम्मत सही पारित किया गया है इसलिए अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर तहसीलदार वामनवास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2020 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22-12-2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ अंजली राजोरिया)
जिला कलेक्टर,
गंगापुर सिटी

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला-गंगापुर